भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1300

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की योजनाएं और रोग निगरानी अवसंरचना

†1300.श्री बस्तीपति नागराजूः

श्री डग्गुमल्ला प्रसादा रावः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश भर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की सूची क्या है और प्रत्येक योजना का आरंभ वर्ष क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक योजना के आरंभ से लेकर अब तक योजना के अंतर्गत स्वीकृत और स्थापित परियोजनाओं की वर्ष-वार, राज्यवार और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए जिलावार संख्या कितनी है,

(ग) इनमें से प्रत्येक योजना के आरंभ से लेकर अब तक इनके अंतर्गत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का आंध्र प्रदेश सहित वर्षवार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा देश भर में रोग निगरानी अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए है;

(ङ) एनसीडीसी समर्थित कार्यक्रमों के अंतर्गत अब तक स्थापित रोग निगरानी अवसंरचना सुविधाओं की राज्यवार और आंध्र प्रदेश में जिलावार संख्या कितनी है;

(च) सरकार द्वारा देश में महानगर निगरानी इकाइयों (एमएसयू) की स्थापना के लिए स्थलों को चिह्नित करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(छ) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी महानगर निगरानी इकाइयों की स्थापना का विचार है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) वायरल हेपेटाइटिस की निगरानी के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (2012), राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (2017), लेप्टोस्पाइरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्यक्रम (2013), जूनोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय वन हेल्थ (2013), एनसीडीसी शाखाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण (2015) को लागू करता है और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (एबीएचआईएम) योजना के केंद्रीय क्षेत्र घटक के अंतर्गत संक्रामक रोगों की निगरानी और प्रकोप प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए राज्य शाखाओं, जैव सुरक्षा स्तर-3 प्रयोगशाला

(बीएसएल-3), एनसीडीसी क्षेत्रीय शाखाओं, महानगरीय निगरानी इकाइयों की स्थापना, एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईएचआईपी) को सुदृढ़ करने और एनसीडीसी मुख्यालय को सुदृढ़ और उन्नयन करने के लिए कार्यक्रम लागू करता है, जो आंध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में लागू किए जाते हैं।
इसके अतिरिक्त, एनसीडीसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के केंद्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कई अन्य कार्यक्रम भी कार्यान्वित करता है, जिनमें से कुछ हैं एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी), सर्पदंश से होने वाले विष के निवारण एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, और जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीसीएचएच)। एनसीडीसी के कार्यक्रमों/योजनाओं का विवरण निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:
https://ncdc.mohfw.gov.in/

(ख) से (ङ): पीएम-एबीएचआईएम के केंद्रीय क्षेत्र घटक के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य के लिए बीएसएल-3, एनसीडीसी राज्य शाखा और महानगर निगरानी इकाई की एक-एक परियोजना स्वीकृत की गई है।

सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के माध्यम से आंध्र प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर धनराशि जारी करती है। पीआईपी का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

भारत सरकार द्वारा पीएम-एबीएचआईएम के केंद्रीय क्षेत्र घटक और एनसीडीसी की अम्ब्रेला स्कीम के तहत जारी की गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

एनसीडीसी देश में रोग निगरानी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई उपाय करता है, जिनमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) का कार्यान्वयन, कागज रहित, केस-आधारित और लगभग वास्तविक समय की निगरानी के लिए 2021 में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईएचआईपी) में संक्रमण, केंद्रीय, राज्य और जिला निगरानी इकाइयों की स्थापना, जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (डीपीएचएल) को मजबूत करना, महानगरीय निगरानी इकाइयों (एमएसयू) की स्थापना, एनसीडीसी में वायरल हेपेटाइटिस प्रयोगशाला को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित करना और एनसीडीसी राज्य और क्षेत्रीय शाखाओं की स्थापना और उन्हें मजबूत करना शामिल है।

(च) और (छ): महानगर निगरानी इकाइयों (एमएसयू) की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान के लिए अपनाए गए मानदंडों में जनसंख्या का आकार और घनत्व, उच्च रोग भार और प्रकोप भेद्यता, शहरीकरण स्तर (टियर-I और टियर-II शहर), मौजूदा रोग निगरानी बुनियादी ढांचे में कमियां, सहायक सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों की उपलब्धता शामिल है।

आंध्र प्रदेश में गुंटूर में एक महानगर निगरानी इकाई (एमएसयू) को मंजूरी दी गई है।
फिलहाल, अतिरिक्त शहरों या राज्यों में एमएसयू का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

अनुलग्नक

एनसीडीसी की योजनाओं और रोग निगरानी अवसंरचना के संबंध में दिनांक 06.02.2026 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1300 के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित अनुलग्नक

योजना	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26 (31/12/2026)	
	अनुमत	व्यय	अनुमत	व्यय	अनुमत	व्यय	अनुमत	व्यय	अनुमत	व्यय
पीएम-एबीएचआईएम	7.5	2.82	48.5	48.43	70.34	56.46	60	49.79	125	85.19
अम्ब्रेला	**50**	**38.26**	**52.46**	**37.8**	**27.52**	**17.05**	**30.37**	**24.72**	**30**	**24.96**

*****